प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 13 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांकः मार्च20,2024

विषयः- क्रिमिनल मिस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-12969/2023 अंकित बालियान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित-12.03.2024 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय में समयान्तर्गत शपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं / जमानत प्रार्थना पत्रों आदि पर Instructions / शपथपत्र उपलब्ध कराये जाने सम्वंधी दिशा-निर्देश पार्श्वांकित शासनादेशों एवं डी0जी0 परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है। क्रिमिनल मिस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-12969/2023 अंकित बालियान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-12.03.2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में समय से शपथपत्र न दाखिल किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा अधोहस्ताक्षरी को इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

डीजी परिपत्र सं0 -05/2024 दि0-19.01.2024
डीजी परिपत्र सं0 -03/2023 दि0-30.01.2023
डीजी परिपत्र सं0 -09/2022 दि0-30.04.2022
डीजी परिपत्र सं0 -24/2021 दि0-26.07.2021
अर्द्ध शा0 पत्र सं0 - डीजी-दस-वि0प्र0-मिस-168/2021 दि0-26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
शासनादेश सं0-206/छः-पु0-9-19-31(2)/2019 दि0- 05.02.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017

आप सहमत होंगे कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में समय से शपथपत्र दाखिल न होने पर शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाता है। ससमय शपथपत्र प्रस्तुत न होने से मा0 न्यायालय के समक्ष सही तथ्यात्मक स्थिति उपलब्ध नहीं रहती है और अभियुक्तपक्ष द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर ही प्रकरण निस्तारित कर दिया जाता है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्तपक्ष को ही मिलता है। शपथपत्र / Instructions समय से दाखिल न होने पर मा0 न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिटों / जमानत प्रार्थनापत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों पर समयान्तर्गत शपथपत्र / Instructions मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल करने संबंधी इस मुख्यालय स्तर से निर्गत पूर्व निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत शपथपत्र / Instructions दाखिल करने की कार्यवाही का अनुश्रवण समस्त

...............2

जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा समस्त कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त द्वारा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से किया जाए तथा निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन तथा पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

20.3.24

(प्रशान्त कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।